न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 2/22 GCMS NO 2022/27

1. ओम प्रकाश पुत्र गंगाधर मीना
2. निरमा देवी पत्नि ओम प्रकाश मीना
3. रसाल देवी पत्नि रामजीलाल मीना निवारीयान ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. गंगासिह पुत्र सत्यनारायण काछी निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. कल्याणी पत्नि चौथमल
3. जिंदाबाद पुत्र चौथमल
4. मुकनी पुत्री चौथमल
5. माखन पुत्र चौथमल
6. रामविलास पुत्र आन्नदा(मृतक)
   6/1. जमना पत्नि रामविलास, 6/2. रमेश चंद पुत्र रामविलास, 6/3. गंगासागर पुत्र रामविलास, 6/4. मुकेश पुत्र रामविलास, 6/5. मूरता पुत्री रामविलास
7. लखपत पुत्र आनन्दा
8. हरिराम पुत्र आनन्दा
9. देवराम पुत्र चौथमल समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
10. तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/19 निर्णय दिनांक 18.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री अजय शेखर दवे

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल बहाव, श्री संदीप शर्मा

दिनांक 17.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थी गंगासिह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि ख0न0 3301 रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है। प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि पर जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 3304, 3307 की पश्चिमी मेड व ख0न0 3302 की पूर्वी मेड पर होकर ख0न0 3301 मे जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर नक्शा शीट मे अंकन फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 गंगासिह द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bagri
Date: 2025.03.27 16:06:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायांलय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 251 ए के मेडेटरी कानून की पालना नही की गई। एक तरफा ढंग से निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण से संबंधित मूल विवाद पत्रावली संख्या 14/19 गंगासिह बनाम ओमप्रकाश अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। मूल प्रकरण की पत्रावली मे लगातार तारीख तब्दील करते हुए दिनांक 22.9.21 से 18.11.21 नियत कर दी गई एवं उसी दिन एक तरफा मे निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि कानून प्रकरण तलबी की स्टेज पर है तो विपक्षीगण की हाजरी व गैर हाजरी के बावत निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अंतिम निर्णय पारित नही करना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत जाकर निर्णय पारित कर दिया। जो निरस्त योग्य है। आलोच्य निर्णय मे अपीलांट के खेत ख0न0 3304 व 3307 की मेड से होकर 20 मीटर लम्बा व 3 मीटर चोडा रास्ता दिया है जबकि मौके पर प्रस्तावित स्थान पर कोई रास्ता ही निकलने की स्थिति नही है। जिस जगह से रास्ता दिया गया है वहॉ ख0न0 3307 मे 40 वर्षो से कुआ है जो 20 मीटर प्रस्तावित रास्ते के बीच मे आता है। इसी प्रकार ख0न0 3304 के एक छोर पर भी कुआ स्थित है बगल मे ट्रांसफारमर लगा है तथा बीच मे घने पेड है तथा बीच मे धार्मिक चबुतरा है। आलोच्य निर्णय मे धारा 69 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है जिसके तहत भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान है जिसकी पालना नही की गई है। धारा 251 ए के तहत अत्यधिक जरूरत व वैकल्पिक रास्ता नही होने से संबंधित जानकारी भी रिकार्ड पर आना जरूरी होता है, जिसकी भी पालना नही की गई है और अभियान मे पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया। धारा 251 ए मे प्रभावित पक्षकारो को सुना जाना आवश्यक है किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की अनदेखी की गई है। अपीलांट अब तक प्रकरण की सुनवाई न्यायालय मे नही होना मान रहे थे इसी बीच तहसीलदार ने दिनांक 29.12.21 को एक नोटिस रास्ते के काम आने वाली भूमि का मुआवजा तय करने की सूचना देने के बाद प्रार्थीगण ने आवश्यक नकले प्राप्त कर अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना किसी भी प्रकार किया जाना संभव नही है क्योकि प्रार्थीयान के खेत 3304 व 3307 के दोनो छोरो पर कुआ,नीम के पेड व धार्मिक स्थल बने हुए है। इस प्रकार रास्ता निकालना संभव नही है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क [illegible] रेस्पो0/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 3301 रकबा 1.69 है0 वाके [illegible] का बरवाडा मे स्थित है। रेस्पो/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 3304,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

3307 की पश्चिमी मेड व ख0न0 3302 की पूर्वी मेड पर होकर ख0न0 3301 मे जाने हेतु लघुतम दूरी का रास्ता है। इस हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र कानून धारा 251 ए के तहत पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर रास्ते हेतु काम आने वाली भूमि का डीएलसी दर का दो गुना राशि का निर्धारण किया जाकर अपीलांट को दिये जाने की शर्त पर कानून निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हो चुकी है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–2076 मे अमल हो चुका है इसी प्रकार नक्शा शीट मे तरमीम हो चुकी है। इस प्रकार अपीलांट की अपील का कोई औचित्य नही है। अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की आराजीयात मे से 20 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय मे की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तलब की गई। जिसे तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपने पत्र कमांक 2081 दिनांक 3.6.20 के द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को संलग्न कर भिजवाई गई है। जिसके अवलोकन से जाहिर है कि मौके की रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर भिजवाई गई है। जबकि रास्ते के प्रकरणो मे कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से कम स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट कानूनन मान्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब तक पेश नही किया गया है एवं बिना किसी सूचना के ही पत्रावली राजस्व अभियान सारसोप मे नियत कर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य होने से प्रकरण की पुनः विधि सम्यक जॉच एवं अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 14/19 निर्णय दिनांक 18.11.21 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:06:06 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी